[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं. 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधनियिम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) स्तम्भ (3) में क्र.सं. 2 के सामने, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को 1 अक्टूबर, 2022 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात मोटर स्प्रिट जिसे साधारणतया पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जो उपभोक्ताओं को फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, एथेनॉल या मेथनॉल के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित मोटर स्पिरिट के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो।" ;

(ii) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 1 अक्टूबर, 2022 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क	2710	मोटर स्प्रिट जिसे साधारणतया पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जो उपभोक्ताओं को फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, एथेनॉल या मेथनॉल के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि	

		मिश्रित मोटर स्पिरिट के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो - (i) ब्रांड नाम के बिना (ii) ब्रांड नाम के साथ	 रु.3.40 प्रति लीटर रु. 4.60 प्रति लीटर

(iii) स्तम्भ (3) में, क्र. सं. 3 के सामने, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को 1 अक्टूबर, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) को लागू नहीं होगी जो उपभोक्ताओं के फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, जिसे वनस्पति तेलों से प्राप्त लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के एल्काइल एस्टर जिसे आमतौर पर जैव-डीजल के रूप में जाना जाता है, के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित डीजल के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो।"

(iv) क्र.सं. 3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा जो अक्टूबर, 2022 के पहले दिन से प्रवर्तनीय होगा, अर्थात् :-

"3क	27101930	हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) मिश्रित डीजल, जो उपभोक्ताओं के फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, जिसे वनस्पति तेलों से प्राप्त लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के एल्काइल एस्टर जिसे आमतौर पर जैव-डीजल के रूप में जाना जाता है, के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित डीजल के लिए	

		समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो। (i) ब्रांड नाम के बिना (ii) ब्रांड नाम के साथ	 रु.3.80 प्रति लीटर रु. 6.20 प्रति लीटर

[फा.सं. 334/01/2022- टी.आर.यू.]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 1/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी, जो सा.का.नि. 83(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।